



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना **RAS**)

प्रकरण संख्या :-162 /2024

जी.सी.एग.एस. नं. 2024 /262

1. पूरणमल
2. ओम प्रकाश  
पुत्रान कल्याण पौत्रान श्रीया जाति मीणा निवासीयान रामसिंहपुरा कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:वादीगण:—

बनाम

1. मंगलराम
2. राधेश्याम  
सीताराम  
पुत्रान भूरजी जाति मीणा निवासी खोखावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
5. उप पंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. मन्नी देवी पत्नी कल्याण पुत्रवधु श्रीया जाति मीणा निवासी रामसिंहपुरा कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. प्रभाती पत्नी मंगलराम पुत्री श्रीया जाति मीणा निवासी स्टेशन वाली ढाणी ग्राम झर तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. रेखा पत्नी हरिनारायण पुत्री कल्याण।
9. रजनी पत्नी कृष्ण कुमार पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासीयान ग्राम जगदीशपुरा बाडापदमपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
10. गौरी शंकर पुत्र भूरजी जाति मीणा निवासी खोखावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. विजय
12. संजय
13. रघुवीर  
पुत्रान बाबूलाल पौत्रान भूरजी जाति मीणा निवासीयान खोखावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—:प्रतिवादीगण:—

—:तरतीबी प्रतिवादीगण:—

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री कमल किशोर शर्मा, एड0 वादीगण  
श्री सनातन पारीक, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3  
श्री सुधीर शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 12 व 13

पर्चा डिक्री

दिनांक 31 /01 /2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 अन्तर्गत धारा 7 आदेश 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को न्यायाहित में स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 122, 123, 124, 125, 126 वाके ग्राम रामसिंहपुरा प.ह. बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में वादीगण का वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 के तहत चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 31/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी बस्सी  
जिला जयपुर